

ग्राम पंचायत अमतराड, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

- 1 {क} प्रस्तावना:-** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, अमतराड विकास खण्ड नगरोटा बगवां जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सुशीला भाटिया	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति उषा भाटिया	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कर्ण कुमार	03-05-11 से 15-12-14
2.	श्री विनोद कुमार	16-12-14 से 08-05-16

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {रुलाखों में}
1.	6.	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि	परिशिष्ट-2
1.	8	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करना	0.12
2.	8.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	6.20
3.	9	औपचरिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीद करने बारे।	0.19
4.	9.1	निविदाओं में अनियमितता	2.18
5.	10	माप पुस्तिकाओं का प्रस्तुत न करना	विवरण पैरे में

भाग – दो

- 2 वर्तमान अंकेक्षण:-** ग्राम पंचायत अमतराड विकास खण्ड व तहसील नगरोंटा बगवां जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं , श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 24-09-2016 से 29-09-2016 के दौरान पंचायत कार्यालय अमतराड में किया गया । आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/14, 03/15 व 02/16 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 01/14, 10/14 व 06/15 को चयनित किया गया ।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

- 3 अंकेक्षण शुल्क:-** ग्राम पंचायत अमतराड विकास खण्ड नगरोंटा बगवां जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या : 207 दिनांक 29-09-16 द्वारा सचिव, पंचायत अमतराड से अनुरोध किया गया ।
- 4 वित्तीय स्थिति:-** ग्राम पंचायत अमतराड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-
- {1}स्व स्रोत :-** ग्राम पंचायत अमतराड के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	12356	45480	57836	34446	23390
2014-15	23390	40568	63958	43919	20039
2015-16	20039	131729	151768	80491	71277

- {2} अनुदान :-** ग्राम पंचायत अमतराड के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	99396	4438987	4538383	4332847	205536
2014-15	205536	2102075	2307611	2070717	236894
s2015-16	236894	1957162	2194056	1573909	620147

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB N /BAGWAN	20012008009	719757
2.	KCCB N/BAGWAN	50055790183	577
3.	KCCB N/BAGWAN	50055790423	2497
		CASH IN HAND	273
		TOTAL	723104

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष:- ₹ 723104

(ख)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष(1+2) :- ₹ 691424

अन्तर :- ₹ 31680

अन्तर का कारण :- क (-)निम्न लिखित चैक जारी किए परन्तु 31-03-16 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए ।

क्रम.सं.	चैक जिनको जारी किए गए	चैक न०	दिनांक	राशि
1.	श्री संजीव कुमार	074651	30-03-16	2700
2.	श्री अनिल कुमार	074652	30-03-16	2700
3.	श्री मिलखी राम	074655	30-03-16	7760
4.	श्रीमति गायत्री देवी	074656	30-03-16	2700
5.	श्रीमति शकुंतला देवी	074657	30 -03-16	2700
6.	श्री कमल कुमार	074658	30-03-16	2700
7.	श्री रूप लाल	074659	30-03-16	1700
8.	श्री केशव कुमार	074660	30-03-16	1700
9.	श्री सुनील कुमार	074661	30-03-16	1700
10.	श्री अशोक कुमार	074663	30-03-16	1700
11.	मै० त्रिवेदी साईनेज	074664	30-03-16	1700
		कुल जोड़		34890

ख . (+) ₹3210/- जो की 2008-09 से हस्तगत थी इस राशि को 31-03-16 तक जमा नहीं किया गया था। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उक्त राशि को दोषी से वसूल

कर रसीद संख्या 218424 दिनांक 28-09-16 द्वारा जमा करवा दी गई है। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता -क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह, नियम-3 में सहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता -ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही व तीन पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता -क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.2 नियमों के विरुद्ध तीन बैंक बचत खातों का खोला जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता “क” में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता “ख” में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार चार बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए एक अतिरिक्त खाते को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को तैयार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार कर एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के

कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखना :-

पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जबकि सचिव द्वारा केवल एक हजार तक की राशि हस्तगत रखी जा सकती है, जोकि {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 गृह-कर व अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्रोत, गृहकर, इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके आभाव में ग्रह-कर व अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹0.12 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

पंचायत सचिव लन्ज खास द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान VKVNY, P.SAMITI, ZP के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹9456, ₹360, ₹2356 इन अनुदानों में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से ₹12172 अधिक खर्च किए गए जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाए अन्यथा उचित स्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

8.1 अनुदान ₹ 6.20 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-

1} के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹6.20 लाख उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था , जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ -साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 204 दिनांक 29-09-16 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत अमतराड को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत अमतराड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापन सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.19 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹0.19 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :205 दिनांक 29-09-16 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत अमतराड को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत अमतराड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ,जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9.1 निविदाओं में अनियमितता :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में जितनी भी

रेत, बजरी की जो खरीद की गई इनकी खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था। चयनित मासो में ₹217800 की रेत, बजरी पंचायत द्वारा मै० पराशर इंटरप्राइजेज सुनेहड से क्रय की गई :-

(1) मै० पराशर इंटरप्राइजेज सुनेहड :- 01892 -251961

(2) मै० विपन ट्रेडर्स सुनेहड :- -----यथोपरि-----

(3) मै० जय दुर्गा स्टोन कोटला :- 92187-28915

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रेत व बजरी की गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था निविदाओं को कमेटी द्वारा नियमानुसार न तो खोला गया व न ही ग्राम सभा में भी पारित किया गया था जब इस विषय पर अंकेक्षण अधियाचना :- 208 दिनांक 29-09-16 को सचिव, ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट कि जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। उक्त अनियमितता को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को उपलब्ध न करवाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में चयनित माह के निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएँ अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। प्राकलन व माप पुस्तिका के आभाव में कार्य की मात्रा, भुगतान की दर व भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 206 दिनांक 29-9-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत अमतराड को अवगत करवाया परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा चर्चा के दौरान अवगत करवाया की तकनीकी सहायक के हड़ताल पर होने के कारण सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जो की अनुचित है। सम्बन्धित अभिलेख को तकनीकी सहायक से प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11 विहित रजिस्ट्रारों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रारों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रारों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अध्याचना संख्या :- 206 दिनांक 29-09-16 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत अमतराड को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत अमतराड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम	फार्म न०	संदर्भित नियम
1.	गृह-कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
2.	मोबाइल टाबर रजिस्टर		
3.	चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर		
4.	निर्माण कार्यो का रजिस्टर	31	95 (1)
5.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
7.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर	21	61(1)
8.	खाताबही	7	29 (1)

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है ,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया ज

13 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते }नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।

14 लघु-आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है ।

15 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता / -
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(ii) 57 / 2016-खण्ड-1-1077-1080 दिनांक: 16.02. 2017 शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत अमतराड़, विकास खण्ड नगरोटा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

हस्ता / -
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.